उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0, (उत्तराखण्ड शुगर्स)
नियर रेलवे क्रॉसिंग, बद्रीपुर रोड़, जोगीवाला,
देहरादून–248001 (उत्तराखण्ड)

सहमति पत्र

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0,
नियर रेलवे क्रॉसिंग, बद्रीपुर रोड़, जोगीवाला,
देहरादून।

महोदय,

समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन दिनांक .... के सापेक्ष .... के पद हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा आवेदन किया जा रहा है।

जो अभिलेखों सहित निर्धारित वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। अधोहस्ताक्षरी को संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु वेबसाइट पर उपलब्ध संघ की निम्न शर्ते स्वीकार हैं :–

1– उपरोक्त नियोजन पूर्णतया अस्थायी एवं संविदा के आधार पर (कान्ट्रेक्ट बेसिस) पर है। संविदा पर नियोजन की अवधि दो वर्ष के संविदा कार्यकाल की होगी, इस अवधि के अन्दर प्रथम 11 माह का संविदा कार्यकाल पूर्ण हो जाने पर अगले 11 माह के लिये तत्पश्चात् 02 माह के लिए परफारमेंस के आधार पर आगे बढ़ायी जायेगी, जिस पर अन्तिम निर्णय संघ के प्रबन्ध निदेशक द्वारा लिया जायेगा, जो स्वीकार्य है।

2– पदों हेतु न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष होगी, जिसकी गणना हेतु कट आफ डेट दिनांक–01.07.2022 होगी, जो स्वीकार्य है।

3– संविदा के आधार पर नियोजित किये गये उपरोक्त पदों हेतु कुल परिलब्धियॉ सातवें वेतनमान के प्रारंभिक स्तर पर प्राप्त होने वाले मूल वेतन अथवा रू0 60,000.00 (रू0 साठ हजार) जो भी कम हो के निर्धारित मासिक वेतन के आधार पर विशेष योग्यता एवं विशेष उपयोगिता की दशा में निगोशिऐबल होगी।

4– संविदाकर्मी के एक माह के वेतन के समतुल्य धनराशि सिक्योरिटी मनी के रूप में उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ लिमिटेड, देहरादून में सुरक्षित रखा जायेगा। इस धनराशि का सृजन संविदाकर्मी के मासिक वेतन से 10 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से कटौती कर किया जायेगा। जो संविदा समाप्ति पर वापसी योग्य होगी।

5– संविदा दोनों पक्ष की ओर से 15 दिन की नोटिस अथवा 15 दिन के भुगतान की नोटिस पर समाप्त हो सकेगी।

6– यदि संविदा अभ्यर्थी द्वारा :–

(क) फर्जी अभिलेख के आधार पर सेवा प्राप्त की जायेगी तो उसकी संविदा तत्काल निरस्त कर उसके विरूद्व आपराधिक दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(ख) संविदा के स्थान पर सेवा के अतिरिक्त अन्यत्र कही सेवा करता पाया जायेगा तो एक पक्षीय रूप से उसकी संविदा समाप्त कर संविदा अवधि में उसके द्वारा जो पारिश्रमिक प्राप्त किया गया होगा उसकी वसूली की जा सकेगी।

7– आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार की सिफारिश कराये जाने की स्थिति में उसका अभ्यर्थन समाप्त कर दिया जायेगा।

8– चयनित अभ्यर्थी की तैनाती उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ लिमिटेड, देहरादून की 04 संचालित सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों में की जायेगी और संविदा अवधि में आवश्यकतानुसार एक मिल से दूसरी मिल में स्थानान्तरित किया जा सकता है, इसका अधिकार संघ के पास सुरक्षित रहेगा।

9– ई.पी.एफ. एवं अन्य कटौतियॉ नियमानुसार की जायेंगी।

10– संविदा पर तैनात अभ्यर्थी को संघ में किसी नियमित रिक्ति पर आमेलन का अधिकार नहीं सृजित होगा।

11– भविष्य में नियुक्ति हेतु संघ द्वारा विज्ञप्ति प्रकाशित किये जाने पर कार्मिक द्वारा की गयी संविदा की सेवा के आधार पर, किसी प्रकार प्राथमिकता/वरीयता का अधिकार सृजित नहीं होगा। केवल अनुभव की गणना में उसकी उक्त सेवा अवधि को सम्मिलित किया जा सकता है।

12– अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व रू0 100.00 के नान–जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर उपर्युक्त आशय का अनुबन्ध करना होगा।

13– अभ्यर्थी जिनके द्वारा किसी भी पद के सापेक्ष विज्ञापन के प्रकाशित होने से पूर्व प्रत्यावेदन संघ को प्रेषित किये हैं, उन्हें भी पुनः इस विज्ञापन के तहत आवेदन करना होगा।

14– इच्छुक अभ्यर्थी संघ के वेबसाइट **www.uttarakhandsugars.com** पर आवेदन आन–लाइन प्रदत्त प्रारूप पर भरकर अनिवार्य रूप से अपलोड करेगें। साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने पर सम्बन्धित अभ्यर्थी अपलोड किये गये समस्त प्रमाण पत्रों यथा शैक्षिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्मतिथि संबंधी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, सहमति पत्र की स्व–हस्ताक्षरित प्रति के साथ प्रत्येक प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं दो नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो इत्यादि साक्षात्कार की नियत तिथि व समय पर प्रस्तुत करेंगे। साक्षात्कार की तिथि एवं समय की सूचना वेबसाइट **www.uttarakhandsugars.com** पर उपलब्ध करायी जायेगी।

15– साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को कोई यात्राा भत्ता देय नही होगा।

16– विज्ञप्ति पदों की संख्या घट एवं बढ़ सकती है।

17– आवेदकों के आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग के उपरान्त अर्ह पाये गये आवेदकों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा।

18– साक्षात्कार के समय आवेदक द्वारा अपना शैक्षिक योग्यता/जाति/कार्य अनुभव आदि सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति तद्विषयक गठित स्क्रीनिंग कमेटी/जांच समिति के समक्ष जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में उक्त आवेदक साक्षात्कार में बैठने हेतु अर्ह नहीं माने जायेंगे।

19– ई–आवेदन पत्र में भरी गयी सूचनाओं में जांचोपरान्त यदि तद्संबंधित मूल अभिलेखों/प्रमाण पत्रों से किसी प्रकार का विचलन/भिन्नता पाये जानने पर आवेदक का अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा।

भवदीय,

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर–

अभ्यर्थी का पूरा नाम–

पत्र व्यवहार हेतु पता–

मोबाइल नम्बर–